कार्यालयः प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़

फोन नं0. 05463-235020, फैक्स नं0-05463-235194,
वेबसाइट–www.gmcazamgarh.com

संख्या–532 /रा0मे0का0आ0/EC-4/विज्ञप्ति/2024 दिनॉक–22/06/2024,

सेवायोजन विज्ञप्ति

संविदा के आधार पर आचार्य, सह–आचार्य तथा सहायक आचार्य के पदों पर साक्षात्कार (Walk-in-interview) के माध्यम से सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति

राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के विभिन्न विभागों में फैकेल्टी के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु **साक्षात्कार (Walk-in-interview) दिनांक–26/06/2024 (बुधवार), दिनांक–03/07/2024 (बुधवार), एवं दिनांक–10/07/2024 (बुधवार) को राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के प्रशासनिक भवन में कालेज काउन्सिल हाल में प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे के मध्य** निर्धारित किया गया है। विज्ञप्ति में रिक्त पदों की संख्या एवं लागू आरक्षण रोस्टर निम्नवत् होगा–

क0 सं0	विशिष्टता का नाम	आचार्य	श्रेणी	सह–आचार्य	श्रेणी	सहायक आचार्य	श्रेणी
1	आप्थलमलोजी	01	SC	-	-	-	-
2	आब्स एण्ड गायनी विभाग	01	OBC	01	UR	-	-
3	इमरजेन्सी मेडिसिन विभाग	01	UR	01	OBC	01 01	UR SC
4	एनेस्थीसिया विभाग	-	-	-	-	01	SC
5	कम्युनिटी मेडिसिन	-	-	01	OBC	-	-
6	जनरल सर्जरी	01	SC	01	UR	-	-
7	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन/पल्मोनरी मेडिसिन	01	UR	-	-	-	-
8	डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	-	-	01	OBC	-	-
9	पैथोलॉजी	01	UR	01	SC	-	-
10	फिजियोलॉजी	01	EWS	-	-	-	-
11	फोरेन्सिक मेडिसिन	01	OBC	-	-	-	-
12	ब्लड बैंक	01	SC	01	OBC	01	OBC
13	बायोकेमेस्ट्री	01	UR	-	-	-	-
14	माइक्रोबायोलॉजी	01	UR	-	-	01	SC
15	रेडियो–डायग्नोसिस	01	OBC	01	SC	01	UR
16	साइकियाट्री	01	SC	-	-	-	-

नोट– किसी भी विभाग में आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर एन0एम0सी0 के मानकों की पूर्ति एवं निकट भविष्य में संभव एन0एम0सी0 के औचक निरीक्षण के दृष्टिगत साक्षात्कार के समय अन्य श्रेणी के उपलब्ध अर्ह अभ्यर्थी से उक्त पद को न्यूनतम 01 वर्ष की अवधि अथवा पद पर नियमित/अगली नियुक्ति होने तक, जो भी पहले घटित हो, सशर्त भर लिया जायेगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् है–

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यो को शासनादेश संख्या–104/2019/5044(1)271–1–2019–जी–63 /2008 दिनांक–21.11.2019 के अनुसार नियत वेतन रू0 1,35,000/– सह–आचार्यो को नियत वेतन रू0 1,20,000/– एवं सहायक आचार्यो का नियत वेतन रू0 90,000/– प्रतिमाह है। वेतन के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशो का अनुपालन किया जायेगा। शासकीय पत्र संख्या–250/2018/4067/71–1–2017– जी–63 /2008, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांक– 20 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य के पद पर नियुक्ति करने हेतु, निर्गत शर्तो के अधीन नियत वेतन रू0– 2,20,000/–प्रतिमाह दिया जायेगा। सेवा शर्तो विषयक विवरण महानिदेशालय एवं कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 मानकों के अनुसार पद के सापेक्ष न्यूनतम योग्यता धारित करना अनिवार्य है।
2. **शासनादेश संख्या–532/71–1–2020–जी–63/2008, दिनांक–10.06.2020 के प्रस्तर–2 के अनुसार संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य–60 वर्ष, सह–आचार्य की अधिकतम आयु–64 वर्ष तथा आचार्य की अधिकतम आयु–68 वर्ष होगी।**

22/06/24

3. एन0एम0सी0 नई दिल्ली द्वारा सहायक–आचार्य पद के लिये 01 वर्ष का एस0आर0 का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
4. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2005 में निहित के अनुसार होगी।
5. चयनित चिकित्सा शिक्षक ओ0पीडी0 के दिन प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
6. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राईवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा।
8. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
9. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
11. चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की अनुपलब्धता/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
12. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों के लिये आवश्यक होगा कि वह करार के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षक को कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को तत्काल भेजी जायेगी।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिये बोनस देय नहीं होगा।
14. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिये हकदार नहीं होगा।
15. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
16. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
17. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरूद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
18. उक्त संविदा पदों पर चयन, महाविद्यालय स्तर पर चयन समिति की संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा की जायेगी। अन्तिम चयन की प्रकिया शासन/महानिदेशालय में ही निहित होगी।
19. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
20. उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–5/2019/4/1/2002/का–2/2019 टी0सी0–1 लखनऊ, दिनांक 13 अगस्त, 2019 के अनुसार शासन से अद्यतन निर्गत 100 बिन्दु के रोस्टर के अनुसार आरक्षण लागू होगा।
21. पदों की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
22. **साक्षात्कार हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
23. **नियुक्ति संबंधी समस्त शर्तें कालेज की वेबसाइट www.gmcazamgarh.com एवं महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ की वेबसाइट www.updgme पर प्रदर्शित हैं।**

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
आजमगढ़।

संख्याः– 532/तद्दिनांक 2024,

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की बेवसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
3. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ़।
5. प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, कानपुर/मेरठ/आगरा/झाँसी/गोरखपुर/प्रयागराज/अम्बेडकर नगर/कन्नौज/जालौन/सहारनपुर/बदायूं को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
6. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
7. समस्त सदस्य चयन समिति, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
8. राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड/सूचना पट्ट हेतु।

22/06/24

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
आजमगढ़।

Principal
Govt. Medical Collage
Azamgarh